

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
email : dc-chi-rj@nic.in (☎01472-294081)

क्रमांक/स्था./2021/ 1689

दिनांक : 14-04-2021

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 03/पीआई/2021 दि.10.04.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के क्रम संख्या 24 के अनुसरण में नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कमेटी का गठन किया जाता है, जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र में दिये गये दिशानिर्देशों व केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के दिशानिर्देशों की पालना में प्रतिदिन सम्पूर्ण परिसर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये समुचित व्यवस्था देखेंगे। समिति का कार्य मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से संपर्क कर मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि बिना थर्मल स्क्रीनिंग कराये कोई व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं करें, न्यायिक परिसर की 1 प्रतिशत हाईपोक्लोराइट से प्रतिदिन सेनीटाईजेशन, परिसर में साफ सफाई, सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना व जो लोग मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं, उन सभी की समझाइश, इत्यादि सुनिश्चित करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करे कि सभी लोग न्यायालय परिसर में आवश्यक रूप से मास्क पहनकर से आये व अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें, सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बिना वजह परिसर में उपस्थित नहीं रहें, इसका विशेष ध्यान रखें। परिसर में कैंटीन, फोटोस्टेट और जो भी खाद्य सामग्री की दुकानें हैं उन्हें हिदायत दें कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करें और परिसर में पान, गुटखा का सेवन न करे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करवायें। जिला मुख्यालय पर कमेटी निम्न प्रकार से रहेगी :-

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ - अध्यक्ष.
2. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, चित्तौड़गढ़ - सदस्य.
3. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय चित्तौड़गढ़ - सदस्य.

तथा चित्तौड़गढ़ न्यायक्षेत्र के अंतर्गत जिला मुख्यालय से दूरवर्ती न्यायालयों में इस संबंध में निम्न प्रकार से कमेटी का गठन किया जाता है :-


1. वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी - अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, संबंधित मुख्यालय - सदस्य
3. वरिष्ठतम न्यायालय के शेरिस्तेदार/रीडर - सदस्य

----Sd----

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है :

- 1 विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, (सं.-1/सं.-2), चित्तौड़गढ़
- 2 न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चित्तौड़गढ़
- 3 न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, चित्तौड़गढ़
- 4 विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, चित्तौड़गढ़
- 5 विशिष्ट न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. प्रकरण) चित्तौड़गढ़
- 6 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (सं.-1/सं.-2/सं.-3) चित्तौड़गढ़ / (सं.-1/सं.-2) निम्बाहेडा
- 7 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़
- 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
- 9 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ संख्या-01, निम्बाहेडा/ बेगूं/ बडीसादडी/ कपासन/ रावतभाटा/ डूंगला
- 10 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सं.-1/सं.-2, चित्तौड़गढ़)/ (सं.-2, निम्बाहेडा)
- 11 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट/ चित्तौड़गढ़/ निम्बाहेडा/ बडीसादडी/ मंडफिया/ कपासन/ बेगूं/ राशमी/ गंगरार
- 12 अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
- 13 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) चित्तौड़गढ़
- 14 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़/ भदेसर
- 15 प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़
- 16 जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
- 17 पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़
- 18 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ/ चित्तौड़गढ़/ निम्बाहेडा/ बेगूं/ बडीसादडी/ कपासन/ रावतभाटा/ डूंगला/ मण्डफिया/ भदेसर/ राशमी/ गंगरार
- 19 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय चित्तौड़गढ़
- 20 कार्यालय प्रति

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
चित्तौड़गढ़